खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 21/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनलाल माली व अन्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 21/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/154

सायल :–		गैर सायल :–
लोकेश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर	बनाम	1. रतनलाल माली पुत्र श्री मांगीलाल माली (खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्स रतन राज एजेन्सी मो.न. 8769180379 पताः आदित्य नगर, रणकपुर रोड़ सादडी पाली राज. 306702 2. खेता राम पुत्र श्री मांगीलाल, (फर्म मालिक/प्रोपराईटर/खाद्यकारोबारकर्ता) निवासी : मोडिया बेरा रणकपुर रोड़, सादडी पाली राज. 306702 3. मैसर्सः– रतन राज एजेन्सी (खाद्यकारोबारकर्ता फर्म) पताः– आदित्य नगर, रणकपुर रोड़ सादडी जिला पाली 306702

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः

1. अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान।

–:निर्णयः–

दिनांकः 30.04.2026

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(ii)/ 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 21.08.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान्/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दिनांक 18.08.2024 को वक्त निरीक्षण सायल मैसर्स रतनराज एजेन्सी रणकपुर रोड़ सादडी तहसील देसूरी जिला पाली पहूंचे, वहां पर रतनलाल उपस्थित थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर परिसर में घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) 02 लीटर प्लास्टिक जार पैकिंग में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ पाया जो आमजन को विक्रय किया जा रहा था। मौके पर परिसर में रखे उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) में गुणवता में कमी का अन्देशा होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) के 02 लीटर के 04 मूल पैक के खरीद कर उसकी कीमत 3280/–रुपये विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अशोक के हस्ताक्षर है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म न. 05ए की प्रतियां रिपोर्ट तैयार कर एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। साथ ही मौके श्री रतनलाल द्वारा उक्त घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) का अग्रिम खरीद का उपयुक्त/सही बिल प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) हेतु लेबल तैयार कर प्रत्येक प्लास्टिक बोतल/जार पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के कोड एवं क्रमांक आर–2470 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–02 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 21/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनलाल माली व अन्य

एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न. आर–2470 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। यह है कि शेष बचे खाद्य पदार्थ को मेरे द्वारा नियमानुसार सील सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता/व्यापारी की सुरक्षित अभिरक्षा में सौपा गया।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंच कर फॉर्म ने छः की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फॉर्म न. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। दो फॉर्म संख्या 06 की प्रति अलग से मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2024/7376 दिनांक 25.09.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/3426/एक्ट/2024/3253 दिनांक 30.08.2024 व रेफरल फूड लेब मैसुर रिपोर्ट संख्या 1329F/FSSA/2024 दिनांक 30.12.2024 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Sub- Standard and presence of fat/oil((vegetable oil) which is not derived from milk which violates the section 2.1.1(3) and 2.3.7 of the food safety & Standards (prohibitions & restriction on sales) regulation 2011 होना पाया गया है

अतः उक्त प्रकरण में गैर सायल द्वारा Sub- Standard and presence of fat/oil((vegetable oil) which is not derived from milk which violates the section 2.1.1(3) and 2.3.7 of the food safety & Standards (prohibitions & restriction on sales) regulation 2011 घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। साथ ही व्यापारी के पास उक्त घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) का खरीद बिल/वेट इनवोइस नहीं पाया गया जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 27 की उपधारा 2(d) क उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्ष एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्तगणों को अधिकतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण करावें।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर उक्त आरोपों को स्वीकार कर निवेदन किया कि यह उनका प्रथम प्रकरण है, उन्होंने भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं दोहराने का आश्वासन दिया तथा दण्ड निर्धारण में नरम दृष्टिकोण अपनाने की प्रार्थना की। जनस्वास्थ्य के सरंक्षण एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, अतः अप्रार्थीगण पर उपयुक्त अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों, खाद्य प्रयोगशाला जयपुर की खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट क्रमाक/एल.एस./3426/एक्ट/2024 3253 दिनांक 30.08.2024 एवं रैफरल लैब मैसुर की रिपोर्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला पाली

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 21 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रतनलाल माली व अन्य

1329F/FSSA/2024 दिनांक 30.12.2024 के अनुसार उक्त खाद्य सामग्री घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) नमूना क्रमांक आर–2470 अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। साथ ही, अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 02 की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार, अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub Standard) खाद्य सामग्री घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) नमूना क्रमांक आर–2470 का विक्रय / भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः शास्ति अधिरोपण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 49(a) में अंकित मापदण्ड अनुसार फर्द मौका में अंकित जब्त माल की कुल मात्रा तथा प्रार्थी द्वारा सैम्पल खरीद की राशि जो पत्रावली में सलग्न कैश मीमो / नमूना खरीद बिल में अंकित है, के आधार पर कुल ज़ब्त माल के बाजार विक्रय मूल्य के बराबर शास्ति अधिरोपित करने का निश्चय किया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 49 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 49 में विहित प्रावधानान्तर्गत अवमानक (Sub Standard) श्रेणी की खाद्य सामग्री घी (श्री वल्लभ ब्राण्ड) नमूना क्रमांक आर–2470 जो उक्त अधिनियम 2006 में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 49200 / – रुपये मात्र अक्षरे उनचास हजार दौ सो रुपये मात्र / –की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उक्त राशि तीनो अप्रार्थीगण के मध्य समान रुप से विभक्त की जायेगी। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.21 / 2025 / 2026 / दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली